रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1970/वैशाख 5, 1892
No. 157] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1970/VAISAKHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April 1970

S.O. 1526.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Bombay Oilseeds and Oils Exchange, Ltd., Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 25th April, 1970 to the 24th April, 1971, both days inclusive, in respect of forward contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(6)-IT/70.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1970

का० आ० 1526.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए मुंबई आयलसीड्स एण्ड एक्सचेंज, लिमिटेड, मुंबई द्वारा आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूंगफली के तेल के अग्रिम संविदाओं की बाबत उक्त एक्सचेंज को और आगे एक वर्ष की कालावधि के लिए 25 अप्रैल 1970 से 24 अप्रैल, 1971 तक जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें ।

[सं० फा० 12(6)—आई० टी०/70]

के० बालाचन्द्रण, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970